

## सभी वर्टिकल प्रमुखों के लिए

संबंधित पार्टी नीति का परिशिष्ट  
(दिनांक 02.02.2023 को अनुमोदित )

बैंक द्वारा अपने संयुक्त उद्यमों, सहयोगियों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ किए गए निम्नांकित लेनदेन को सर्वव्यापी लेनदेन के रूप में एक आर्म्स लेंथ आधार / सामान्य तौर पर अनुमोदित किया गया :

क्र.सं	संबंधित पार्टियों के साथ किए गए लेनदेन की का स्वरूप/श्रेणी	लेनदेन की अवधि/ अनुबंध/व्यवस्थाएं	लेनदेन का अधिकतम संचयी मूल्य	मार्गदर्शी वाणिज्यिक विचार
1.	जमा राशियों का नियोजन	10 वर्षों तक	रु- 700 करोड़ तक	समय समय पर जारी होने वाले जमा ब्याज दर संबंधी परिपत्र /दिशानिर्देश
2.	जमाराशि पर ब्याज का भुगतान	असीमित	कोई भी मूल्य	समय समय पर जारी होने वाले जमा ब्याज दर संबंधी परिपत्र /दिशानिर्देश
3.	गैर-निधि प्रतिबद्धताओं सहित ऋण और अग्रिम:  अ. गृह ऋण	30 वर्षों तक	रु-50 करोड़ तक	ऋण एवं अग्रिम ब्याज दर संबंधी समय समय पर जारी परिपत्र /दिशानिर्देश
	ब-अन्य ऋण	10 वर्षों तक	रु- 750 करोड़ तक	
4.	विनियमित लेनदेन के अंतर्गत सेवाओं का प्रतिपादन, जिसके लिए दरें या प्रभार निर्धारित किए जाते हैं	कितनी भी बार	कोई भी मूल्य	सेवा प्रभार परिपत्र समय-समय पर जारी किया जाता है / समझौता ज्ञापन बनाया गया
5.	विविध/अन्य बैंकिंग संबंधी सेवाएं अर्थात् निधियों के जमाकर्ता, सावधि जमा, बचत और चालू खाता सेवाएं, शुल्क / ब्रोकरेज / कमीशन और अन्य बैंकिंग सेवाएं	कितनी भी बार	रु- 200 करोड़ तक	समय-समय जारी दिशा निर्देश /समझौता ज्ञापन बनाया गया.



यदि संबंधित पक्ष लेनदेन (एकल/समूह) की आवश्यकता का पूर्वाभास नहीं किया जा सकता है और उपर्युक्त विवरण उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसे आरपीटी का सर्वव्यापी अनुमोदन उनके मूल्य के अधीन होगा जो प्रति लेनदेन 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा.

उपर्युक्त लेनदेन के लिए सर्वव्यापी अनुमोदन को संबंधित/वर्गीकृत आरपीटी के लिए पूर्व अनुमोदन के रूप में माना जाएगा और ऐसे लेन-देनों के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा. इस तरह के सर्वव्यापी अनुमोदन एक वर्ष के लिए अर्थात् 04.02.2023 से 03.02.2024 तक वैध होंगे।

लेखा परीक्षा समिति तिमाही आधार पर ऐसे सर्वव्यापी अनुमोदनों के अनुसरण में बैंक द्वारा किए गए संबंधित पक्ष के लेन-देन के ब्यौरे की समीक्षा करेगी।

